न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–212 / 2023
GCMS NO:- 2023/339

दायर दिनांकः 04.08.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. लाड बाई उर्फ रामघणी पुत्री बजरंगा पत्नी हजारीलाल जाति बलाई नि0 ग्राम बाल पंचायत बडगांव तहसील हिण्डोली।
2. शरमा उर्फ संतरा पुत्री बजरंगा पत्नी मदन जाति बलाई नि. ग्राम ताकला तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. कोशल्या पुत्री बजरंगा पत्नी ओमप्रकाश जाति बलाई नि. मोडसा तहसील नैनवॉ।
2. मनभर बाई पुत्री बजरंगा पत्नी रामनारायण जाति बलाई नि0 उरांसी तहसील नैनवॉ।
3. मांगी बाई पुत्री बजरंगा पत्नी अम्बालाल जाति बलाई नि. मुण्डली तहसील नैनवॉ।
4. रामसहाय पुत्र बजरंगा जाति बलाई नि. जजावर तहसील नैनवॉ।
5. सोहनी पत्नी स्व. बजरंगा जाति बलाई नि. जजावर तहसील नैनवॉ।
6. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामराज नागर।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जजावर तहसील नैनवॉ मे जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार संवत् 2076–2079 की भूमि खसरा संख्या 3927 / 3362 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि के नाम सुविधा दृष्टि से संबोधित किया जावेगा। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण के पिता बजरंगा के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि थी।

यह कि प्रार्थीगण के पिता का देहावसान हो चुका है जिनके 6 पुत्रियां प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण कौशल्या, मनभर, मांगी बाई, संतोष, बजरंगा की पत्नी सोहनी बाई जीवित है। प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण भूमि पर सम्मिलित रूप से काबिज चले आ रहे है। संतोष मर चुकी है।

यह कि प्रार्थीया रामघणी को गांव मे लाड प्यार से लाड बाई पुकारते थे एवं प्रार्थीया शरमा को संतरा भी कहते थे इस कारण प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पर जो इन्तकाल खुला उसमे लाड बाई के स्थान पर रामघणी व शरमा के स्थान पर संतरा दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों मे लाड बाई व शरमा ही दर्ज है। नाम मे भिन्नता होने से प्रार्थीगण को केसीसी निकलाने व अन्य राजकीय योजनाओं का लाभ उठाने व अन्य कई कार्यों मे भारी परेशानी होती है इस कारण जमाबन्दी व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों मे रामघणी पुत्री बजरंगा के स्थान पर लाड बाई पुत्री बजरंगा व संतरा पुत्री बजरंगा के स्थान पर शरमा पुत्री बजरंगा दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त गांव मे अन्य कोई दुसरी रामघणी पुत्री बजरंगा व संतरा पुत्री बजरंगा नाम की कोई महिला कभी भी नही रही है अतः प्रार्थीया रामघणी पुत्री बजरंगा के स्थान पर लाड बाई पुत्री बजरंगा एवं संतरा पुत्री बजरंगा के स्थान पर शरमा पुत्री बजरंगा कर संशोधन किया जाकर तदनुसार जमाबन्दी व अन्य भूराजस्व अभिलेखों मे आवश्यक संशोधन किया जावे। विकल्प मे दोनों नामों के बीच उर्फ लगा दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 20.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं के द्वारा दिनांक 20.5.2025 को न्यायालय मे उपस्थित होकर इकवाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है

हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा संख्या 3927 / 3362 रकबा 0.9708 हैक्टयर मे दर्ज प्रार्थीगण के पिता बजरंगा की मृत्यु पर जो इन्तकाल खुला उसमे प्रार्थीया लाड बाई के स्थान पर रामघणी व शरमा के स्थान पर संतरा दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों मे लाड बाई व शरमा ही दर्ज है अतः

रामघणी पुत्री बजरंगा के स्थान पर लाड बाई पुत्री बजरंगा एवं संतरा पुत्री बजरंगा के स्थान शरमा पुत्री बजरंगा कर संशोधन किया जाकर अथवा विकल्प मे दोनों नामों के बीच उर्फ लगाकर अनुसार जमाबन्दी व अन्य भूराजस्व अभिलेखों मे आवश्यक संशोधन किया जावे।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि:—

- प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हुआ है कि प्रार्थीया रामघणी जिसको गांव मे लाडप्यार से लाड बाई पुकारते थे तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पश्चात जो नामान्तरकरण खुला उसमे लाड बाई के स्थान पर रामघणी दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के भाई रामसहाय आ0 बजरंगा द्वारा प्रस्तुत फोती इन्तकाल प्रार्थना पत्र एवं उस पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 2023 का अवलोकन किया तो पाया कि उसमे बजरंगा के वारिसान (सजरा) मे नम्बर 5 पर रामघणी नाम की ही वारिस होना बताया था तथा मृतक बजरंगा के वारिस द्वारा बताये वारिसान के विवरण के अनुसार तथा तत्समय पटवारी/कानूनगो द्वारा जांच करने पर ही नामान्तरकरण खोला गया था।
- प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी अंकित किया हुआ है कि प्रार्थीया शरमा को संतरा भी कहते थे तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पश्चात जो नामान्तरकरण खुला उसमे शरमा के स्थान पर संतरा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के भाई द्वारा तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया का नाम सन्तरा ही था तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 मे यह स्पष्ट है कि संतरा पुत्री बजरंगा पत्नी मदन की मृत्यु कई वर्षो पहले हो चुकी है। शरमा पत्नी मदन जाति बलाई मदन पुत्र नाथू की द्वितीय पत्नी है जिससे संतरा के स्थान पर शरमा किया जाना उचित नही है।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार नैनवॉ रिपोर्ट, प्रार्थीगण के भाई द्वारा प्रस्तुत फोती नामान्तरकण प्रार्थना पत्र तथा नामान्तरकरण संख्या 2023 के अवलोकन अथवा उक्त समस्त दस्तावेजों मे पाये गए विरोधाभास के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक :— 29.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां